**एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड**

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता नीति**

1. **परिचय और पृष्ठभूमि**
	1. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रख्यापन के साथ, प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, जिसका या तो निवल मूल्य रु.500 करोड या व्यापारावर्त रु.1000 करोड या निवल लाभ रु.500 करोड है, को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसतम निवल लाभ का कम से कम 2% खर्च करना अनिवार्य हो गया है।
	2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से संबंधित है। यह कंपनियों के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित करता है जिसे सीएसआर कार्यकलापें लेने के लिए अपेक्षित है और अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर कार्यकलापों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करता है। सीएसआर कार्यकलापों को व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं लिया जाना चाहिए और कंपनी अधिनियम 2013, की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी कार्यकलापों के संबंध में होना चाहिए। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल किए जानेवाले कार्यकलापों को अधिनियम की अनुसूची VIIमें सूचिबद्ध किए गए हैं। अधिनियम की धारा 135 और अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान, सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।
	3. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीएसआर नियम तैयार किया है और 27.02.2014 को इसे संशोधित किया है। सीएसआर नियम 1 अप्रैल 2014 से सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू हो गए।
	4. सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 12 अप्रैल 2013 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं.15(7)/2012-डीपीई (जीएम)-जीएल-104 के अनुसार जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता पर दिशानिर्देश” के अनुसार वर्ष 2013 में तैयार की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता पर एचएलएल की नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पठित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रारंभ किए गए नए प्रावधानों के साथ श्रेणीबद्ध करने के लिए संशोधित किया गया है।
	5. कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों में परिकल्पित और शामिल सीएसआर के उद्देश्यों एवं गतिविधियों के साथ उपायों को प्रारंभ करने और सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा अपने दर्शन को संरेखित करने की ओर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता पर नीति अपनाई गई है।
	6. सीएसआर और स्थिरता, एचएलएल के व्यवसाय का अभिन्न अंग है। यह नीति, एचएलएल को कंपनी के सीएसआर एवं स्थिरता पहलों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। एचएलएल ने यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है कि सीपीएसई के लिए सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं को नीति तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।
2. **नाम**

नीति को “ एचएलएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता नीति” कहा जाता है। (बाद में सीएसआर नीति/नीति के रूप में संदर्भित किया गया है।)

1. **प्रयोज्यता**

एचएलएल सीएसआर नीति, सीएसआर पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुरूप और 2014 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुसार विकसित की गई है। यह नीति अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार भारत में एचएलएल द्वारा ली गई सभी सीएसआर परियोजना/कार्यक्रमों पर लागू होगी और पूरे एचएलएल और सभी कर्मचारियों पर लागू होगी।

1. **प्रभावी तिथि**

यह नीति 1 अप्रैल 2014 से लागू होगी।

1. **नीति का उद्देश्य**

यह नीति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और ऐसे अन्य नियम, विनियम, परिपत्र एवं अधिसूचना (बाद में “विनियम” के रूप में सामूहिक रूप से संदर्भित है) जैसा कि लागू हो सकती है और समय-समय पर संशोधित एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जा सकती है, के अनुरूप पढ़ी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रदान करेंगे:

* सामाजिक परियोजनाओं के लिए कंपनी के लाभ का प्रतिशत समर्पित करने के लिए विनियमों के प्रावधान के साथ अनुपालन के लिए एक दिशानिर्देश स्थापित करना।
* उपयुक्त प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग के माध्यम से सीएसआर पहलों का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
* कर्मचारियों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार पहलों में भाग लेने का अवसरों का सृजन करना।
* जिम्मेदार व्यवसाय प्रथाओं और सुशासन के माध्यम से सामान्य भलाई के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना।
* एचएलएल के कर्मचारियों के बीच में समाज को वापस देने के लिए उन्हें प्रेरित करने की ओर सहानुभूति एवं समानता की भावना पैदा करना।
1. **परिभाषाएँ**

इस नीति में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. ‘अधिनियम’ का अर्थ है, कंपनी अधिनियम, 2013
2. ‘कंपनी’ का अर्थ है, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल)।
3. ‘बोर्ड’ का अर्थ है, कंपनी के निदेशक मंडल।
4. ‘सीएसआर नियम’ का अर्थ है, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014
5. ‘सीएसआर समिति’ का अर्थ है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति।
6. ‘मंत्रालय’ का अर्थ है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय।
7. ‘निवल लाभ’ का अर्थ है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए अपने वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का निवल लाभ है, लेकिन निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे :
8. कंपनी की किसी विदेशी शाखा या शाखाओं से उत्पन्न कोई लाभ, चाहे वह एक अलग कंपनी के रूप में प्रचालित हो या अन्यथा और
9. भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई लाभांश, जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अधीन है और अनुपालन करते हैं।

बशर्त कि वित्तीय वर्ष के संबंध में निवल लाभ जिसके लिए कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) के प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए थे, को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्गणना करने की आवश्यकता नहीं होगी।

1. इस सीएसआर नीति में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो यहाँ परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

**7.0** **सीएसआर समिति**

**7.1** एचएलएल को एक बोर्ड स्तर की उप-समिति होगी, जिसे इसके बाद कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर समिति) के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

**7.2** ऊपर संदर्भित समिति, होगी ;

1. सीएसआर नीति और उसके किसी भी संशोधन को तैयार करके बोर्ड को सिफारिश करना ;
2. सीएसआर नीति के अनुसार कर्यकलापों पर खर्च किए जानेवाले व्यय की राशि की सिफारिश करना ;
3. कंपनी की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी हो।

**7.3** सीएसआर समिति जब भी आवश्यक समझी जाएगी बैठक करेगी।

**7.4** सीएसआर समिति की बैठक का कोरम, कुल संख्या का एक तिहाई या दो निदेशक, जो भी अधिक हो, का होगा।

**7.5** सीएसआर समिति, वरिष्ठ कार्यपालकों, कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों और ऐसे अन्य व्यक्ति (यों) को आमंत्रित कर सकती है जो बैठक में भाग लेने के लिए आवश्यक समझे।

**8.0 सीएसआर कार्यकलाप एवं कार्यान्वयन**

**8.1** इस नीति का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत बताई गई गतिविधियों तक विस्तारित होगा, जो वर्तमान में लागू है। इस नीति में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त/अधिसूचित किसी अन्य निकाय द्वारा अधिसूचित सभी अतिरिक्त और सहायक मामले शामिल हैं।

**8.2** नीति यह मानती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केवल अनुपालन नहीं है; यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के तहत अधिसूचित जैसे निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों में से एक या अधिक द्वारा अल्प सुविधा प्राप्त लोग के जीवन में कुछ हद तक सुधार करनेवाली पहलों के समर्थन करने की प्रतिबद्धता है :

i. भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढावा देने एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान सहित निवारक स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वच्छता को बढावा देना।

ii. विशेष शिक्षा एवं रोज़गार बढाने सहित शिक्षा को बढावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अलग-अलग विकलांगों के बीच में व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका संवर्द्धन परियोजना।

iii. लैंगिक समानता को बढावा देना, महिलाओं का सशक्तीकरण, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों एवं छात्रावासों की स्थापना, वृद्धाश्रम की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे समूहों द्वारा सामना की जानेवाली असमानताओं को कम करने के लिए उपाय।

iv. गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों एवं जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना।

v. इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों व कला कार्यों के मरम्मत सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार एवं विकास।

vi. सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय।

vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढावा देने के लिए प्रशिक्षण।

viii. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, अल्पस्ख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राहत और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।

ix. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्युबेटरों को प्रदान किया गया योगदान या निधि।

x. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ।

xi. गंदी बस्ती क्षेत्र का विकास।

xii. ऐसे अन्य मामले जो समय-समय पर लागू कानून के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं।

xiii. ऐसी अन्य गतिविधि जिसे सीएसआर समिति द्वारा उचित समझा जा सकता है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

**9.0** **सीएसआर बजट**

**9.1** कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित जैसे, कंपनी इस नीति के अनुसरण में सीएसआर गतिविधियों के लिए निम्नलिखित राशि खर्च करने का प्रयास करेगी:

i. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी के “औसत निवल लाभ” का कम से कम दो प्रतिशत, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान अर्जित किया गया। “औसत निवल लाभ” की गणना कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 198 के प्रावधानों और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

ii. उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियों से उत्पन्न होनेवाली कोई आय।

iii. सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो।

**9.2** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि के योगदान को सीएसआर गतिविधि के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

**9.3** सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि में बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश पर अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों से संबंधित कॉर्पस या परियोजनाओं या कर्यक्रमों के लिए योगदान सहित सभी व्यय शामिल होंगे (**उदाहरणार्थ** **प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी को योगदान**), लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आनेवाली गतिविधियों के अनुरूप या के अनुसार नहीं होनेवाली मदों पर कोई व्यय शामिल नहीं करेगा।

**9.4** सीएसआर गतिविधि से उत्पन्न होनेवाला कोई भी अधिशेष, कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा ।

**10. अनुमोदन प्राधिकारी (शक्तियों का प्रत्यायोजन)**

**10.1** एचएलएल में उचित अनुमोदन प्रक्रिया के बाद सीएसआर गतिविधि के तहत प्रत्येक प्रस्ताव को बोर्ड की सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

**10.2** सभी सीएसआर परियोजना प्रस्तावों को कार्यान्वयन के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

**11.0 निष्पादन/कार्यान्वयन के साधन**

**11.1** कंपनी के निदेशक मंडल, सीएसआर समिति की सिफारिश पर समय-समय पर सीएसआर पहल के तहत कंपनी द्वारा ली जानेवाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों (पहचानी गई परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों) का निर्धारण/अनुमोदन कर सकता है। हालांकि, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि ली गई परियोजनाएँ या कार्यक्रम या गतिविधियाँ संबंधित हैं और अनुसूची VII या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत बताई गई गतिविधियों के व्यापक दायरे में हैं।

**11.2** किसी भी परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधि और /या अन्य आकस्मिक या सहायक मामलों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, लेकिन प्रस्तावित व्यय की मात्रा तक सीमित नहीं है, सहित सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

**11.3** सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों को प्रारंभ/कार्यान्वित/निष्पादित किया जा सकता है:

i) कंपनी द्वारा; या

ii) साझेदार/विशेष एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन। कार्यान्वयन भागीदार की निम्नतम पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं :

1. यह एक पंजीकृत सोसाइटी, न्यास, कंपनी या कोई विशेष एजेंसी होनी चाहिए, जिसे समान प्रकृति की गतिविधियों को संभालने में पंजीकरण के बाद न्यूनतम तीन साल का अनुभव हो।
2. किसी भी सरकारी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ काम करने के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

**11.4** कंपनी द्वारा एक समझौता/अनुबंध या कोई अन्य लिखित संचार निष्पादित किया जाएगा।

**11.5** निदेशक मंडल, सीएसआर समिति की सिफारिश पर सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग करने का निर्णय ले सकता है।

**11.6** सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों को शुरू करते समय कंपनी के स्थानीय क्षेत्र या प्रचालन के क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी। किसी भी पहचान की गई परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधि के संचालन केलिए ऐसे क्षेत्र को सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल या उसकी किसी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

**11.7** सीएसआर समिता के पास सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन के तौर-तरीकों को निर्दिष्ट या संशोधित करने और कार्यान्वयन कार्यक्रम निर्धारित करने का पूर्णाधिकार होगा।

**11.8** सीएसआर परियोजनाएँ या कार्यक्रम या गतिविधियाँ जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों या कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम के अनुसरण में की गई गतिविधियों को लाभान्वित करती हैं, को इस नीति के अनुसार या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

**11.9** यदि कंपनी खर्च करने में विफल रहती है, तो ऊपर बताई गई राशि, खर्च न करने का कारण निदेशकों की रिपोर्ट में बताया जाएगा।

**12.0 सीएसआर नीति की निगरानी**

**12.1** सीएसआर समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस सीएसआर नीति के तहत परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन की समय-समय पर निगरानी करे और कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत समय-समय पर बनाए गए नियमों में उल्लिखित सीएसआर से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

**12.2** सीएसआर समिति, सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों की निगरानी के संबंध में नियम बनाएगी या निर्देश जारी करेगी।

**12.3** सीएसआर पहल और गतिविधियों की प्रगति नियमित आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी।

**13.0 निदेशक मंडल की भूमिका**

बोर्ड की भूमिका और उत्तरदायित्व में शामिल होंगे :

* + - सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सीएसआर नीति का अनुमोदन।
* बोर्ड की रिपोर्ट में इस सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा की रिपोर्टिंग में परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के औसतम निवल लाभ और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित जैसे निर्धारित सीएसआर व्यय और वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई कुल राशि और अव्ययित राशि, यदि कोई हो, के साथ उसके अधीन बनाए गए नियम शामिल हैं।
* यह सुनिश्चित करें कि सीएसआर नीति की सामग्री उचित संविधि के अधीन कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।
* यह सुनिश्चित करें कि सीएसआर गतिविधियों को इस सीएसआर नीति और उचित नियमों के अनुसार लेकर निष्पादित किए जाते हैं।
* यदि सीएसआर गतिविधियों में अपेक्षित राशि पूरी तरह से खर्च नही की जाती है, तो बोर्ड की रिपोर्ट में कारण बताएँ।

**14.0 क्षमता निर्माण**

कंपनी अपने कर्मचारियों को धन कैसे और कहाँ खर्च किया जा रहा है, के बारे में रणनीतिक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षण देकर अपने कर्मियों की सीएसआर क्षमताएँ बना लें साथ ही अन्य एजेंसियों को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करें जिनके ज़रिए या जिनके सहयोग से कंपनी सीएसआर गतिविधियाँ लेती है/ले सकती है। हालांकि सीएसआर क्षमता के निर्माण के लिए खर्च किए गए कोई भी व्यय, चाहे वह स्वयं का हो या पात्र कार्यान्वयन एजेंसी का हो, एक विशेष वित्तीय वर्ष में कुल सीएसआर व्यय के 5% से अधिक नहीं होगा।

**15.0 प्रलेखन और प्रसार**

परियोजना के शुरुआत में उपलब्ध कराए गए बेस-लाइन डेटा (जहाँ लागू हो) सहित सीएसआर दृष्टिकोण और परियोजना पूरा होने पर इस तरह के परिमाणित प्रभाव को रिकोर्ड उद्देश्यों और भविष्य के उपयोग के साथ-साथ अनुभव साझा करने के लिए प्रलेखित किया जाएगा। इसे एचएलएल वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। कंपनी की सीएसआर पहल कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित प्रारूप में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी रिपोर्ट की जाएगी।

**16.0 नीति में संशोधन**

निदेशक मंडल स्वयं और /या सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार इस नीति में जब भी आवश्यक समझे, संशोधित कर सकता है। सीएसआर नीति का कोई भी या सभी प्रावधान संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विषय पर विनियमों के अनुसार पुनरीक्षण/संशोधन के अधीन होंगे।

**17.0 सामान्य**

**17.1** नीति इस संबंध में बनाई गई पिछली नीति का अधिक्रमण/अधिरोहण करेगी।

**17.2** नियमों की व्याख्या और प्रशासन करने की शक्ति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एचएलएल के पास होगी, जिनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई पूरक नियम/आदेश बनाने का अधिकार है।